रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-72 REGISTERED No. D (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

CX 1.845

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4 1985/चैत्र 14, 1907
No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 1985/CHAITRA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 अप्रैल, 1985

का आ 288(अ) —केन्द्रीय सरकार विदेशिया/विषयक अधिनियम 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात् —

1. (1) इस आदेश का नाम विदेशिया विषयक (पहचान के सबूत का पेश किया जाना) आदेश 1985 है ।

(2) यह 8 अप्रैल 1985 को प्रवृत्त होगा और 21 अप्रैल 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा ।

2. प्रत्येक विदेशी जिससे यह अपेक्षित है कि वह भारत में प्रवेश करने के प्रयोजन के लिए पासपोर्ट या किसी अन्य प्रकार का यात्रा दस्तावेज अपने साथ रखे, अपना पासपोर्ट या ऐसा अन्य यात्रा दस्तावेज, जिसको उसे अपने साथ रखना अपेक्षित है, या अपनी पहिचान का अन्य सबूत, और विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 तथा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अधीन उसे दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और आवासिक अनुज्ञापत्र भी, तब जब वह दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में हो, सदैव अपने साथ रखेगा, तथा उसे किसी कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक के किसी पुलिस अधिकारी या आंतरिक सुरक्षा या विदेशियों की बाबत किसी कार्य से सम्बद्ध किसी अधिकारी के समक्ष, मांग किए जाने पर, प्रस्तुत करने का दायी होगा ।

[सं. 14013/100/85-एफ-1]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 1985

S.O. 288(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. (1) This order may be called the Foreigners (Production of Proof of identity) Order, 1985.

(2) It shall come into force on the 8th day of April, 1985 and shall remain in force upto and inclusive of the 21st day of April, 1985.

2. Every foreigner who is required to be in possession of a passport or any other kind of travel document for purpose of entry into India shall carry with him at all times, while he is in the Union Territory of Delhi, his passport or such other travel document as is required to be in his possession or other proof of his identity as also the certificate of registration and residential

permit, if any, issued to him under the Registration of Foreigners Rules, 1939, and the Foreigners Order, 1948, and shall be liable to produce the same on demand to any police officer of or above the rank of a constable or to any other officer concerned with internal security or work in respect of foreigners.

[No. 14013|100|85-F. I]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985